तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	पेश होने रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला व [अवलम्बन] व जबाव प्रतिवादीगण का पेश होने हेतु दिनांक 19/3/20 को पेश हो। [हस्ताक्षर]
03-12-2020 [मुहर: उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)]	कोविड-19 संक्रमण के कारण ईजादी पेशी के पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 5 बार-बार आवाज लगाने के बावजूद गैर हाजिर। अतः अप्रार्थी सं० 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला रास्ता कटाण आदेश फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला का अवलोकन किया गया। चूंकि तहसीलदार खण्डेला ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोषित रास्ते को ही प्रार्थीगण की कृषि जोत में पहुंच हेतु निकटतम एवं लघुतम रास्ता माना है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला रास्ता कटाण का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। मिस

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रभावित काश्तकारों की भूमि जिस क्षेत्रफल में रास्ता कायम हेतु जारी आदेश में आ रही है उस भूमि का वर्तमान DLC दर की दोगुनी राशि से प्रभावित काश्तकारों को भुगतान उपरान्त तहसीलदार खण्डेला उक्तानुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करें। उक्त रास्ता पूर्णतः सार्वजनिक उपयोग-उपभोग का रहेगा। तहसीलदार खण्डेला को उक्तानुसार अमल दरामद बाबत तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक वास्ते पालना 13/01/2021 को पेश हो। यह निर्णय आज दिनांक 03/12/2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(राकेश कुमार) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner